तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज **छगना वगैरह बनाम सरका जरिये तहसीलदार सांचौर, मुकदमा संख्या :– 01/2024**	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीली में जारी हुए
22.01.2025		

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि सरहद मौजा चौरा में हम प्रार्थीगण के खातेदारी का खेत खसरा पुराने 230 रकबा 29 बीघा 17 बिस्वा का आया हुआ है। जिसके पश्चिमी भाग में प्रथम सर्वे से राजकीय मार्ग चलता है जो सीधा माफिक नजरी नक्शा पुराने नक्शे के चल रहा है जिसका द्वितीय सर्वे के दौरान नये सर्जित नंबर 1088 व 1087 जुमले रकबा 4.83 हैक्टेयर बने रकबा पुराने रकबे के अनुसार सही दर्ज किया परन्तु नक्शा जो पुराने नक्शे से बेमेल बना दिया व हमारे खेत के पश्चिम जो रास्ता चलता था उस रास्ते को हमारे खातेदारी में मोड़ दिया व करीब एक बीघा जमीन मेरी रास्ते व उसे बाहर दर्शायी व उस ग्राम आबादी के खाते में डाल दिया व उतरी भाग में जहां मेरा कब्जा नहीं है मेरे खातेदारी में दर्ज कर दी सुविधा के लिहाज से नजरी नक्शा साथ पेश किया जा रहा है। जिसमें पीले रंग से दर्शाय भूमि मेरे खातेदारी की है। जिसमें रास्ता व आबादी के खाते में डाल दी है जो काबिल दुरूस्ती के है जिसके लिए मूल प्रार्थना–पत्र पेश है तथा यह पत्रावली इस निर्देश के साथ रिमाण्ड हुई है कि प्रथम सेटलमेंट व द्वितीय सेटलमेंट का नक्शा व वस्तुस्थिति देखकर व मौके की जांचकर दोनों नक्शे के आधार पर उस का मिलान कर निर्णय करने का निर्देश दिया गया है तथा मौका रिपोर्ट भी स्पष्ट रूप से प्रार्थना–पत्र के समर्थन में आ चुकी है। अब मौके पर ग्राम पंचायत मेरे प्रार्थना–पत्र का मतलब व विषयवस्तु खत्म करने के लिए रोड़ निर्माण कर रहे है उसे रोके जाने हेतु यह बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र साथ पेश है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि मेरे प्रार्थना–पत्र के समर्थन में मौका रिपोर्ट भी आ चुकी है। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर ने भी दोनों नक्शों को मिलान कर निर्णय करने का निर्देश दिया है सो अब प्रार्थना–पत्र के संबंधित रहते रोड़ बना दी जाती है तो प्रार्थना–पत्र की विषयवस्तु समाप्त हो जायेगी सो अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक है सो अप्रार्थीगण को मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने उक्त तथ्यों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज फरमावें।

मैंने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार [illegible] से स्वीकार किया जाता है।

:– **आदेश** :–

अतः अंतरिम अस्थाई [illegible] इस आशय की [illegible] की जाती है कि अप्रार्थीगण मौजा–चौरा के नवीन खसरा नंबर [illegible] व 1088 जुमले रकबा 4.83 हैक्टेयर भूमि के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) साचौर, जिला–साचौर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्टट्रैक) साचौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.18 16:02:19 IST
Reason: SelfAttested